



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.06.2025

1. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस व सीआरटी टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलोग्राम ओजी गांजा, 08 किलोग्राम शिलांग गांजा व 16.5 किलोग्राम मेंगो गांजा कुल अवैध गांजा 26.5 किलोग्राम (अनुमानित कीमत लगभग 50,000,00/-पचास लाख रुपये) व कब्जे से 03 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.06.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस व सीआरटी टीम द्वारा एक्सप्रेस वे सर्विस रोड सैक्टर 93 कट के पास से 05 शातिर अभियुक्तगण 1.चंदन राव पुत्र स्व0 सुरेश राव 2.अजीम पुत्र नदीम खान 3.शमीम पुत्र निजाम 4.बन्टी कुमार पुत्र लेखपाल सिंह 5. सूरज राव पुत्र स्व0 सुरेश राव मूल को गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया कि ओजी गांजा थाईलेण्ड से शिलांग व मेंगो गांजा शिलांग व पहाड़ी क्षेत्रों से मंगाकर पैकिंग करके एनसीआर क्षेत्र में रिटेलर को सप्लाई करते हैं तथा महंगे दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं।

1. अभियुक्तगण , एनसीआर क्षेत्र में रिटेलर को गांजा सप्लाई करते हैं
2. अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते हैं तथा एक जगह टिक कर नहीं रहते।
3. अभियुक्तगण का कोई निश्चित ग्राहक नहीं होता हैं बल्कि यह मोल तोल करके जहां भी इनको अधिक दाम मिलता है वही गांजा बेच देते और आर्थिक लाभ कमाते।
4. अभियुक्तगण अधिकतर पकड़े जाने के डर से वाट्सएप्प कॉल का प्रयोग कर बात करते थे ताकी पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।
5. अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा गांजा सप्लाई करने के लिये मोटर साइकिल का प्रयोग किया जाता है।
6. अभियुक्तगण उपरोक्त के पकड़े गये 26.5 किलोग्राम अवैध गांजा की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. चंदन राव पुत्र स्व0 सुरेश राव निवासी सैक्टर 66, ममूरा नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष ,
2. अजीम पुत्र नदीम खान निवासी बी 98, तिगड़ी एक्सटेंशन नोएडा उम्र करीब 22 वर्ष ,
3. शमीम पुत्र निजाम निवासी अकबरपुर, थाना तुगलकाबाद दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष ,

4. बन्टी कुमार पुत्र लेखपाल सिंह निवासी ग्राम कालोली, थाना अनुपशहर, जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष ,
5. सूरज राव पुत्र स्व० सुरेश राव मूल निवासी जीजीखान रोड़, अबुलमोदी कलकत्ता पश्चिम बंगाल हाल पता निवासी सैक्टर 66, ममूरा नोएडा, उम्र 29 वर्ष,

अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

मु०अ०स० धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण--

1. 02 किलोग्राम ओजी अवैध गाँजा बरामदा
2. 08 किलोग्राम शिलोंग अवैध गाँजा बरामद
3. 16.5 किलोग्राम मेंगो अवैध गाँजा बरामद
4. मोटर साइकिल टीवीएस राइडर रजि०न० डीएल 3एस एफक्यू 2639
5. मोटर साइकिल स्पलैण्डर रजि०न० यूपी 16 सीएन 9825
6. मोटर साइकिल होण्डा एसपी रजि०न० डीएल 3एस एफ एन 5727

2.थाना बिसरख पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.06.2025** को **थाना बिसरख** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 शातिर चोर 1.रोहताश पुत्र धर्म पाल 2.चाँद पुत्र नसीम 3.कालेश प्रताप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 4.राम कुमार पुत्र मुन्नी लाल को न्यू हैबतपुर ठेके के पास, थाना क्षेत्र बिसरख से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 मोटरसाइकिल व 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

अपराध का तरीका--अभियुक्त रोहताश गैंग का सरगना है जो नोएडा एनसीआर की पॉश कॉलोनियों/सोसाइटियों के अन्दर से वाहन चोरी की वारदात करने में माहिर है। वह सोसाइटी के मैन गेट के गार्डों को अपनी बातों में फंसाकर अन्दर प्रवेश करता है और सोसाइटियों की पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी करके बाहर खड़े अपने साथी चाँद, कालेश प्रताप व रामकुमार को दे देता है। अन्य तीनों अभियुक्त सोसाइटी के बाहर या बाजार

आदि में खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी करते हैं, जिसके बाद यह मोटरसाइकिल को खाली पड़ी अर्धनिर्मित बिल्डिंगों या खाली जगह में छिपा देते हैं और बाद में मौका पाकर मोटरसाइकिलों को अपने साथियों के साथ मिलकर बेच देते थे। इस तरीके से अभियुक्तों के द्वारा नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र से दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

उत्साह वर्धन हेतु गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा ₹25000 का इनाम देने की घोषणा की गई है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहताश पुत्र धर्म पाल निवासी ग्राम बिछन, थाना जैथरा, जिला एटा वर्तमान पता बुद्ध बाजार, बहरामपुर, थाना क्रोसिंग रिपब्लिक, जिला गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।
2. चाँद पुत्र नसीम निवासी चरण सिंह कॉलोनी, प्रताप विहार, थाना विजय नगर, गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
3. कालेश प्रताप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम जुगौरा, थाना बलरई जिला इटावा वर्तमान पता तिगरी गोल चक्कर, थाना विजय नगर, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब- 26 वर्ष।
4. राम कुमार पुत्र मुन्नी लाल निवासी ग्राम ज्यौराहा थाना बारीगर, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश वर्तमान पता प्रेम वाटिका कॉलोनी, सादुल्लापुर, थाना बादलपुर, जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. दो अवैध तमचे मय 04 जिन्दा कारतूस (अभियुक्त रोहताश व कालेश प्रताप सिंह के कब्जे से)
2. चोरी की 25 मोटरसाइकिल

1. रॉयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 रजि0 DL14SK3983 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 363/2025 धारा 303(2) , 317(2)बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. रॉयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 रजि0 UP16DB6226 सम्बन्धित मु0अ0सं0-326/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL3SEL8733 सम्बन्धित मु0अ0सं0 33761/24 धारा 305(बी) BNS थाना सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली।
4. होन्डा साइन रजि0नं0 UP81AQ9199 सम्बन्धित मु0अ0सं0-366/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. स्पलेन्डर प्रो रजि0नं0 DL13SK4997

6. अपाचे रजि०नं० UP14DM4629
7. स्प्लेन्डर प्लस रजि०नं० DL3SBQ258
8. मो०सा० रजि०नं० DL3SBQ2583
9. स्पेलन्डर प्लस रजि०नं० UP16CS5709
9. हीरो पेशन प्रो रजि०नं० DL4SCB0741
10. स्पलेन्डर प्लस रजि०नं० UP23W8696 असली रजि०नं० UP13AN3954 (चोरी की)
11. मोटरसाइकिल रजि०नं० DL3SER7385 (चोरी की)
12. स्पलेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट असली रजि०नं० UP14DX0554 सम्बन्धित मु०अ०सं० 002905/25 धारा-305(बी) बीएनएस थाना सीमापुरी ई पुलिस स्टेशन दिल्ली।
13. स्पलेन्डर प्लस असली नम्बर UP14DY0131
14. स्पलेडर प्लस असली नम्बर UP23AC0375
15. मोटरसाइकिल असली नम्बर UP81CY8798
16. मोटरसाइकिल महेन्द्रा सेन्चुरो रजि०नं० UP32FD7630 सम्बन्धित मु०अ०सं०-15/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा।
17. टीवीएस स्पोर्ट रजि०नं० UP16DJ3673
18. एच एफ डीलक्स रजि०नं० DL3SEV6252
19. पेशन प्रो असली नम्बर DL3SAN8198
20. स्पेलन्डर प्लस रजि०नं० DL3SEX3656 सम्बन्धित मु०अ०सं० 388/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
21. पल्सर 220 असली नम्बर UP14DF6625
22. होण्डा साइन रजि०नं० DL7SCK2683 सम्बन्धित मु०अ०सं०-468/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
23. बुलेट रजि०नं० UP14DS9662 सम्बन्धित मु०अ०सं०-283/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना विजय नगर गाजियाबाद।
24. हीरो होन्डा स्पलेन्डर रजि०नं० HR30D3681
25. मोटरसाइकिल असली नम्बर UP16CV0429

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 363/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 326/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 33761/24 धारा 305(बी) बीएनएस थाना सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 366/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 002905/25 धारा 305(बी) बीएनएस थाना सीमापुरी ई पुलिस स्टेशन, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0 15/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।
7. मु0अ0सं0 388/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 468/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0 283/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना विजय नगर, गाजियाबाद।

3. थाना जेवर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी/टप्पेबाजी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3000/- रुपये नकद, 06 फर्जी आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 05 मोबाईल एवं एक मोटर साईकिल बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01/06/2025 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि तथाकथित गुप्ता, अनिल, करण यादव व एक अन्य द्वारा वादी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर कर धोखाधड़ी /टप्पेबाजी से 150 आर.ओ लगाने के लिए 12000/- रुपये लेने के सम्बन्ध में दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना जेवर पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- थाना जेवर पुलिस द्वारा दिनांक 02/06/2025 मुकदमा वादी की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कपिल पुत्र लक्ष्मण सिंह 2. यतीश शर्मा पुत्र मुकुन्दी लाल शर्मा 3. पप्पन उर्फ प्रदीप पुत्र विष्णु को चोरोली अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोबाईल व एक मोटर साईकिल प्लेटिना व घटना से सम्बन्धित 3000 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण पप्पन उर्फ प्रदीप तथाकथित करन यादव फर्जी कम्पनी का सुपरवाइजर बनकर आम लोगो को अपनी बातों के जाल में फसाकर अपने साथी यतीश शर्मा तथाकथित अनिल को मैनेजर के रूप में बताकर लोगो से मिलवाता था उसके बाद फरार अपराधी जितेन्द्र कुमार ग्राहक के रूप में जिसके रुपये कम्पनी में बकाया होने का छलकपट करता है तथा कपिल कुमार तथाकथित गुप्ता जो अपने को सिद्ध प्राप्त बाबा बताकर लोगो लालच देकर कि तुमको एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हें कोई भी हरा पायेगा और रुपये आर्थिक लाभ कमाने का छल कपट कर खेल खिलवाता है और छल कपट करके धोखाधड़ी से टप्पेबाजी करके लाखों रुपये का लालच देकर धोखा धड़ी से पैसे ऐठ लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. कपिल पुत्र लक्ष्मण सिंह नि० ग्राम चौकडा थाना नोहझील जनपद मथुरा
2. यतीश शर्मा पुत्र मुकुन्दी लाल शर्मा नि० न्यू राज नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
3. पप्पन उर्फ प्रदीप पुत्र विष्णु नि० ग्राम चरौरा मुस्तफाबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. कपिल पुत्र लक्ष्मण सिंह--

मु०अ०सं० 174/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

2. यतीश शर्मा पुत्र मुकुन्दी लाल शर्मा--

मु०अ०सं० 174/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

3. पप्पन उर्फ प्रदीप पुत्र विष्णु--

- 1) मु०अ०सं० 174/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
- 2) मु०अ०सं० 181/2012 धारा 302/120बी/364/364ए भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर
- 3) मु०अ०सं० 80/2023 धारा 379 भादवि थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर
- 4) मु०अ०सं० 238/2023 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर
- 5) मु०अ०सं० 336/2023 धारा 379/411 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण--

कब्जे से 3000/- रुपये नकद, 06 फर्जी आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 05 मोबाईल एवं एक मोटर साईकिल नं० यूपी 85 बीएन 1621 बरामद हुई।